

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम  
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

क्रमांक:  
सेवा में,

684-C

दिनांक:

07/9/2022

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6,  
पंचकूला, हरियाणा।

विषय:-


**Diversion of 0.4760 Ha. (Instead of 0.8066 Ha.) of forest land for lying of water pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli to Tajnagar, Faridpur to Dhani Ahran via Karola & Farrukhnagar road to Garhi Nathe Khan., under Forest Divison & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021)**

सन्दर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 9-  
HRB180/2021-CHA दिनांक 12.08.2022 तथा आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक D-  
III-10117/1616-17 दिनांक 16.08.2022.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों की मद  
वाईज सूचना निम्न प्रकार से है:-


1. प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा समक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करवा कर अधिकृत पत्र की कॉलम संख्या A-3 (xvii) में अपलोड कर दिया गया है।
2. प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा संशोधित KML अपलोड कर दिया गया है तथा पत्र के साथ भी संलग्न है तथा सी०ए० की संशोधित KML & DGPS पोर्टल पर अपलोड कर दिये गए हैं।  
संलग्न/उपरोक्त (पत्र के साथ Separate NPV Sheet व CA Scheme भी अपलोड किए गए हैं।)

  
उप वन संरक्षक,  
गुरुग्राम।

पृ० क्रमांक/

दिनांक/

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उप वन संरक्षक  
गुरुग्राम।